भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1189

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी संशोधन

1189. श्री रंगासायी रामाकृष्णाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी संशोधन तालिका के संबंध में गठित प्रणब सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इसी विषय पर एक नए पैनल का गठन किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या आधार हैं; और
(घ) क्या अगले लोक सभा चुनावों के शेष कुछ ही महीनों पहले मनमाने तरीके से मजदूरी में संशोधन का प्रयास करना अनुचित है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी हां। प्रो. एस. महेन्द्र देव, निदेशक (उपसभापति), इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से मजदूरी को सुरक्षित रखते हुए प्रत्येक वर्ष मनरेगा मजदूरी दरों को संशोधित करने के लिए एक उपयुक्त संकेतक के बारे में सुझाव देगी